संख्या-25/2021/1615(1)/78-2-2021-112आई.टी./2016

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर,2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में आईटी पूल फण्ड से सहकारिता विभाग एवं अल्पसंख्ययक एवं वक्फ विभाग में शासकीय सेवाए अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्धति से आम-जनमानस की उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन के अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या-8147/ अ0मु0स0स0/2021 दिनांक 24-02-2021, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 के पत्र संख्या- पीसीएफ/कम्प्यूटर / 2021-22 /1242 दिनांक 28-09-2021, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्ययक वित्तीय एवं विकास लि0 के पत्र संख्या-154/2021-22 दिनांक 10-09-2021 एवं पत्र संख्या-139/2020-21 दिनांक 01-09-2021 एवं आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-805/78-2-2016-53आई.टी./2008टीसी दिनांक 12-05-2016 एवं अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इले0 विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 07-12-2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे ई-गवर्नेन्स डेवलपमेन्ट फण्ड(आईटी पूल फण्ड) की अप्रेजल एवं अप्रुअल कमेटी की बैठक के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त विषयक पत्र संख्या-1615(1)78-2-2020-112आई.टी./2016 दिनांक 09-12-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारिता विभाग एवं अल्पसंख्ययक एवं वक्फ विभाग में शासकीय सेवाए अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्धति से आम-जनमानस की उपलब्ध कराये जाने हेतु संलग्न तालिका के कॉलम 4 एवं 5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में आईटी पूल फण्ड में प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष क्रमश: धनराशि रू0- 48,63,930/- एवं धनराशि रू0-62,88,810/- इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1,11,52,740/- (रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख बावन हजार सात सौ चालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं उक्त शासनादेश दिनांक 12-5-2016 के साथ संलग्न आईटी पूल फण्ड की गाइडलाइन में निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार प्रथम चरण में मोबलाइजेशन एडवांस के रूप में क्रमश: धनराशि रू0-4,86,393/- एवं धनराशि रू0-6,28,881/- इस प्रकार कुल धनराशि रू0- 11,15,274/- (रू0-ग्यारह लाख पंद्रह हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2021 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित)द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक,उद्योग,लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण कर, इसमें से धनराशि रू0-4,86,393/- का व्यय सहकारिता विभाग/ उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 हेतु साफ्टवेयर विकास के लिए उपयोग किया जायेगा, शेष रू0-6,28,881/- अल्पसंख्ययक कल्याण एवं वक्फ विभाग/ उ0प्र0 अल्पसंख्ययक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 की सेवाओं हेतु साफ्टवेयर विकास के लिए प्रबन्ध निदेशक अपट्रान पावर ट्रानिक्स लि0 को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 निदेशक,उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें।
6. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक,कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
7. उक्त धनराशि का उपयोग उसी मद/ कार्य हेतु किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित विभाग / निगम द्वारा हार्डवेयर का क्रय नहीं किया जायेगा।
8. संलग्न तालिका के कालम 3 एवं 4 के अनुसार सहकारिता विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट की कुल लागत की 50 प्रतिशत की धनराशि ही आईटी पूल फण्ड से स्वीकृत की जायेगी शेष धनराशि का वहन सम्बन्धित विभाग द्वारा अपने स्रोतो /बजट से किया जायेगा।
9. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
10. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2020-231/20121, दिनांक 22-03-2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

<u>संलग्नक यथोक्त।</u>

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

<u>संख्या- (1)/78-2-2021 तददिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्ययक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक,यूपीएलसी / अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 ,लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्ययक वित्तीय एवं विकास लि0, लखनऊ।
8. राज्य समन्वयक, सीईजी लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
10. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
12. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-25/2021/1615(1)/78-2-2021-112आई.टी./2016 दिनांक 20-12-2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 में)

क्र	विभाग/ कार्य का नाम	प्रोजेक्ट की कुल लागत	आईटी पूल फण्ड से स्वीकृत 50 प्रतिशत के समतुल्य कुल धनराशि	स्वीकृत धनाराशि के सापेक्ष आईटी पूल फण्ड से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही 10 प्रतिशत की धनराशि
1	2	3	4	5
1	**सहकारिता विभाग-** उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/ सेवाओ को आम जनमानस को इलेक्ट्रानिक्स पद्यति के माध्यम उपलब्ध कराये जाने हेतु साफ्टवेयर का विकास।	97,27,860/-	48,63,930/-	4,86,393/-
2	**अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग-** उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 की सेवाओं हेतु साफ्टवेयर विकास।	1,25,77,620/-	62,88,810/-	6,28,881/-
	कुल योग	2,23,05,480/-	1,11,52,740/-	11,15,274/-

(कुल धनाराशि रू0- ग्यारह लाख पंद्रह हजार दो सौ चौहत्तर मात्र)

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।